

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली।

संख्या 68015-68085 /हिंदी/केन्द्रीय/237-238/2018

दिनांक 29/10/2018

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/  
प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/ अनुभाग प्रमुख  
केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

विषय:- बैठक दिनांक 02.11.2018 (शुक्रवार) की सूचना।

महोदय/ महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है कि माननीय नोडल अधिकारी, केन्द्रीय जिला, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली की अध्यक्षता में संबद्ध जिले के समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) तथा अनुभाग प्रमुख की बैठक दिनांक 02.11.2018 (शुक्रवार) को सांय 04.00 बजे सभागार, कक्ष संख्या 327, तृतीय तल, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में बुलाई गई है। सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु बैठक की कार्यसूची संलग्न है।

बैठक में आपकी उपस्थिति अनिवार्यतः अपेक्षित है, अतः निर्धारित तारीख, समय व स्थान पर बैठक में उपस्थित हो।  
धन्यवाद

भवदीया,

30/10/18

प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)

राजभाषा हिंदी अनुभाग (केन्द्रीय),  
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 68015-68085 /हिंदी/केन्द्रीय/237-238/2018

दिनांक 29/10/2018

पत्र की प्रतिलिपी सूचनार्थ प्रेषित की जाती है:-

1. रीडर, न्यायालय श्री अभिलाष मल्होत्रा, विद्वत महानगर दण्डाधिकारी-03, केन्द्रीय जिला/ नोडल अधिकारी (केन्द्रीय), केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।
2. देखरेख अधिकारी, देखरेख शाखा, केन्द्रीय जिला को बैठक के लिए सभागार, कक्ष संख्या 327 का प्रबंध करें व जलपान की व्यवस्था करने हेतु।

30/10/18

प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)

राजभाषा हिंदी अनुभाग (केन्द्रीय),  
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

21/02/18

28092-21092

8105/882-182/राजभाषा/दिल्ली

**राजभाषा हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।  
आगामी बैठक हेतु कार्यसूची।**

1. त्रैमासिक रिपोर्ट सुचारु रूप से भेजी जाएं।
2. राजभाषा हिन्दी की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु बजट के विषय में जानकारी सामान्य अनुभाग तथा लेखा अनुभाग, केन्द्रीय जिला से प्राप्त की जाएं।
3. सभी अनुभागों/शाखाओं के कर्मचारियों की टंकण प्रशिक्षण में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएं।
4. सभी अनुभागों/शाखाओं के सामान्य प्रपत्र हिन्दी अथवा द्विभाषी तैयार किए जाएं।
5. प्रशासन अनुभाग-II से जारी संस्वीकृति आदेश हिन्दी भाषा में जारी किए जाएं।

37/ 24/18  
29/10/18

प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)  
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (केन्द्रीय),  
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,  
जिला न्यायालय, दिल्ली।

21/02/18

8105/882-182/राजभाषा/दिल्ली

(अधीनस्थ) निदेशिका कर्मिका  
(अधीनस्थ) सामान्य सेवा कर्मिका  
राजभाषा अनुभाग, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।